रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 1987/आषाढ़ 23, 1909
No. 148] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 1987/ASADHA 23, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1987

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 23-ईटीसी (पी एन)/87

विषय :—मैग्नेसाइट की निर्यात नीति।

फा.सं. 6(10)/87-ई-2 :—उपर्युक्त विषय पर आयात-निर्यात नीति पुस्तक, 1985-88 (खंड-2) के नीति विवरण की क्रम सं. 45(8) की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2 स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि 4.5% SiO_2 से 7.5% के बीच की सिलिका मात्रा के साथ कास्टिक मूल के और कम से कम 4.5% SiO_2 और 2.0 सी ए ओ तक के अल्पोरा मूल के कैल्साइन्ड मैग्नीसाइट के निर्यात की अनुमति सीमित सीलिंग के भीतर "पहले आए सो पहले पाए"

के आधार पर दी जाये । 7.5% से अधिक सिलिका मात्रा वाले सालेम मूल के कैल्साइड मैग्नीसाइट के निर्यात की अनुमति "मुक्त लाइसेंस" के आधार पर दी जायेगी ।

3 तदनुसार, आयात निर्यात नीति 1985-88 (खंड-2) के पृष्ठ 19 पर नीति विवरण की क्रम सं. 45(8) के सामने के कालम-3 की शर्त (1) और (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :--

"(1) 4.5% से 7.5% के बीच की सिलिका मात्रा वाले सालेम मूल के और कम से कम 4.5% $एस_1 ओ_2$ और 2.0% सीए ओ तक के अल्मोरा मूल के कैल्साइड मैग्नीसाइट के निर्यात की अनुमति सीमित सीलिंग के भीतर "पहले आए सो पहले पाए" के आधार पर दी जायेगी ।

(2) 7.5% से अधिक सिलिका मात्रा के मूल सालेम के कैल्साइड मैग्नेसाइट के निर्यात की अनुमति "मुक्त लाइसेंस" के आधार पर दी जायेगी" ।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 14th July, 1987

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 23-ETC(PN)|87

Subject :—Export Policy of Magnesite.

File No. 6(10)|87|E-II.—Attention is invited to S. No. 45(viii) of the Policy Statement of Import and Export Policy Book 1985-86 (Vol. II) on the above subject.

2. On a review of the position, it has been decided to allow export of Calcined Magnesite of Salem Origin with silica content between 4.5 per cent to 7.5 per cent and of Almora origin containing at least 4.5 per cent S_1O_2 and not less than 2.0 per cent Cao will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis. Export of Calcined Magnesite of Salem origin with silica content above 7.5 per cent shall be allowed on "Licensed freely" basis.

3. Accordingly, conditions (i) and (ii) appearing in Column 3, against S. No. 45(viii) of the Policy Statement at page 19 of the Import and Export Policy 1985—88 (Vol II) shall be substituted by the following :—

"(i) Export of Calcined Magnesite of Salem origin with silica content between 4.5 per cent to 7.5 per cent and of Alomra origin containing at least 4.5 per cent S_1 O_2 and not less than 2.0 per cent Cao will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis.

(ii) Export of Calcined Magnesite of Salem origin with silica content above 7.5 per cent will be allowed on "licensed freely" basis".

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987